न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री भागीरथराम आर.ए.एस.)

मिसल नं0 825/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 783/14, 1066/15)
दायरा 30/10/2014

उनवान

मोहनलाल पुत्र लटूरनाथ जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर

— वादी

बनाम्

1. मांगीनाथ पुत्र कान्हा जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
2. मोडू पुत्र हरदेव जाति नाथ निवासी वामला तह0 वारां जिला वारां
3. महेंद्र पुत्र हरदेव जाति नाथ निवासी वामला तह0 वारां जिला वारां
4. जमनालाल पुत्र हरदेव जाति नाथ निवासी वामला तह0 वारां जिला वारां
5. पार्वती पत्नि हरदेव जाति नाथ निवासी वामला तह0 वारां जिला वारां
6. तोलाराम पुत्र किशनचंद्र जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
7. गोपाल पुत्र किशनचंद्र जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
8. ओमप्रकाश पुत्र किशनचंद्र जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
9. रामभरोसीवाई पत्नि किशनचंद्र जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
10. वद्रीनाथ पुत्र शिवप्रसाद नाथ जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
11. रामावतार नाथ पुत्र शिवप्रसाद नाथ जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
12. वरधीवाई पुत्री शिवप्रसाद पत्नि द्वारकीलाल जाति नाथ नि0 आसन तह0 सांगोद जिला कोटा
13. सुशीलावाई पुत्री शिवप्रसाद पत्नि प्रभूनाथ जाति नाथ निवासी राजूभाई फीज वाले गांवघेर मोहल्ला संजय कॉलोनी झालावाड़
14. भूलीवाई पुत्री शिवप्रसाद पत्नि घनश्याम जाति नाथ निवासी राजूभाई फीज वाले गांवघेर मोहल्ला संजय कॉलोनी झालावाड़
15. मनभरवाई पुत्री शिवप्रसाद पत्नि सूरजमल जाति नाथ निवासी लक्ष्मी चिल्ड्रन स्कूल के पास खण्डिया कॉलोनी झालावाड़
16. गंगावाई वेवा शिवप्रसाद नाथ जाति नाथ निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
17. लक्ष्मीवाई पत्नि धन्नालाल जाति मीणा निवासी रामपुरा तह0 झालावाड़
18. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92(ए), 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
2. श्री अनिल मेहता अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 24/01/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद आर.टी.एक्ट

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

1955 की धारा 88, 91, 92(ए), 188, 209 अन्तर्गत के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम रामपुरा की जमाबंदी सं0 2036–39 की खतौनी सं0 नयी 08 पुरानी 09 की 4 किता रकबा 46.06 बीघा आराजी कान्हा नाथ पुत्र सुक्खा नाथ, लदूरनाथ पुत्र माधोनाथ कौम नाथ निवासी रामपुरा के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की थी, जिसमें कान्हानाथ, लदूरनाथ का बराबर का हिस्सा था। कान्हा नाथ ने उक्त आराजियात में से दि0 16.06. 1979 को ख0नं0 491 की 14.12 बीघा में से 2.00 बीघा, ख0नं0 508 रकबा 9.13 बीघा में से 4.00 बीघा यानि इन दोनों खसरा नम्बरों में से कान्हा नाथ ने उसके हिस्से की आराजी में से कुल 6.00 बीघा आराजी वादी मोहनलाल नाथ को बैचान कर दी है। इस बैचान के बाद वादग्रस्त आराजी मे कान्हा के हिस्से में 17.03 बीघा आराजी ही बची तथा मोहनलाल नाथ के खाते में 29.03 बीघा आराजी हो जाती है। उक्त 6.00 बीघा का इंतकाल नं0 56 भी वादी के पक्ष में तस्दीक किया गया किन्तु इसका जमाबंदी में अंकन नहीं किया गया। कान्हानाथ व लदूरनाथ की मृत्यु हो गयी है। इनके वारीसान का इंतकाल नं0 55 दर्ज होकर तस्दीक हुआ है। इन इन्तकालों के आधार पर जो जमाबंदी बनायी उसमें मृतक कान्हानाथ के वारीसों में किशनचंद नाथ जो कान्हा का लड़का है का नाम नहीं जोड़ा गया और लदूरनाथ के वारिसों में मोहनलाल वादी जो लदूरनाथ का लड़का है तथा मोत्यांबाई बेवा लदूरनाथ का नाम दर्ज किया है, जिनका हिस्सा आराजी में 1/2 दर्ज किया गया है जो सही है लेकिन कान्हा नाथ ने अपने जीवनकाल में कुल 46.06 बीघा आराजी में उसके हिस्से में से मोहनलाल को बेची गयी आराजी 6.00 बीघा को कम कर केवल 17.03 बीघा आराजी रहनी चाहिये तथा मोहनलाल व उसकी माता मोत्यांबाई के हिस्से में 29.03 बीघा दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार जमाबंदी में कानून के विरूद्ध गलत इन्द्राज किया है। मृतक कान्हानाथ के 3 पुत्र प्रति0 1 मांगीनाथ व हरदेवनाथ, किशचंद्रनाथ, शिवप्रसाद नाथ थे। इनमें से हरदेवनाथ, किशनचंद्रनाथ, शिवप्रसादनाथ की मृत्यु हो चुकी है। प्रति0 2 लगायत 16 इनके वारीसान हैं। लदूरनाथ की भी मृत्यु हो गई है। लदूरनाथ के वारिसों में केवल वादी व उसकी माता मोत्यांबाई थी, लेकिन मोत्यांबाई की भी मृत्यु हो चुकी है और लदूरनाथ की चल, अचल सम्पत्ति का एक मात्र वारिस वादी ही है। दि0 11.06.1982 को मृतक कान्हा नाथ के वारिसों ने जो प्रति0 1 व मृतक हरदेवनाथ, किशचंद्रनाथ व शिवप्रसाद नाथ ने आराजी ख0नं0 491 की 14.12 बीघा प्रतिवा0नं 17 लक्ष्मीबाई को बैचान कर दी। यह बैचान कान्हानाथ के वारिसों द्वारा ही किया गया था किन्तु कान्हानाथ के वारिसों ने बैचान करने वालों में वादी का नाम भी दर्ज करवा दिया जो गलत था। वादी ने न तो आराजी बैचान की न बैचान तस्दीक करवाने के लिये उप पंजीयक खानपुर के समक्ष पेश हुआ न बैचान का प्रतिफल प्राप्त किया न बैचान पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये और इसी कारण उप पंजीयक महो0 खानपुर ने बैचान पत्र को रजिस्टर्ड करने के लिये पेश करने वाले व्यक्तियों में वादी का नाम दर्ज नहीं किया। ऐसे में यह बैचान वादी के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है तथा शून्य प्रभावी है। उक्त बैचान के आधार पर प्रति0 17 लक्ष्मीबाई के नाम इंतकाल नं0 112 तस्दीक किया गया, इसमें उक्त तथ्य की अनदेखी की गई। मृतक कान्हा के वारिसान द्वारा प्रति0 17 लक्ष्मीबाई को 14.12 बीघा अराजी बैचान करने के पश्चात मृतक कान्हा के वारिसों के हिस्से में केवल 2.11 बीघा आराजी बचती है। राजस्व रेकार्ड में उक्त बैनामों का सही अंकन नहीं करने से कान्हा नाथ के वारिसान का नाम अभी भी जमाबंदी में दर्ज है। साथ ही प्रति0 6 लगा0 9 के पिता किशनचंद नाथ ने संयुक्त खाते की आराजी में से केवल उसका हिस्सा 1/10 बैचान किया है जो भी कानून के विरूद्ध है। यह 1/10 हिस्सा लगभग

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

3.00 बीघा होता है लेकिन कान्हनाथ के सभी वारीसान का संयुक्त खाते में केवल 2.11 बीघा आराजी ही बचती है। इस प्रकार इनको 1/10 हिस्सा बैचने का अधिकार ही नहीं था। यह बैचान दि0 6.11.2008 को प्रति0नं0 17 लक्ष्मीबाई के हक में रजिस्टर्ड करवाया गया है। इस बैचान के आधार पर दर्ज इंतकाल भी कानून के विरूद्ध है। इंतकाल नं0 112 भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, इसे तस्दीक करने से पूर्व वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। ख0नं0 496 की 21.17 बीघा, 508 की 7.12 बीघा कुल 2 किता की 29.03 बीघा हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार सरकार रेकार्ड को दुरूस्त करना व वादी को 29.03 बीघा आराजी का खातेदार घोषित करना न्यायहित में आवश्यक है। जमाबंदी सं0 2065–68 में कुल 31.14 बीघा में वादी का केवल 15.14 बीघा हिस्सा बताया गया है जबकि वादी का कानूनन हिस्सा 29.03 बीघा होता है और इस प्रकार सरकारी रेकार्ड को दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है। सरकारी रेकार्ड दुरूस्त करने से इन्कार करने से वाद हेतुक दि0 22.01.2014 को उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध मय खर्चा डिक्री फरमाया जावे तथा कान्हानाथ व लटूरनाथ के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की आराजी कुल 31.14 बीघा में से वादी को 29.03 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रति0 1 लगा0 16 का नाम रेकार्ड से हटाया जाकर रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वो भी वादी को दिलायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1, 6 लगा0 11, 17 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुये इकवालिया जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी नं0 2 लगा0 5, 12 लगा016, 18 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इकवालिया जवाबदावा पेश करने से तनकीयात कायम नहीं की गई तथा वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वंय एवं गवाह रामकरण, कजोड़ीलाल के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp16 प्रदर्श कराये। तत्पश्चात वादी की सहमति से साक्ष्य वादी बंद की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी ने यह कहते हुये साक्ष्य पेश करने से इन्कार कर दिया कि उनने इकवालिया जवाबदावा पेश किया है, ऐसे में उनको कोई साक्ष्य पेश नहीं करना है। इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर वाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रामपुरा 46.06 बीघा है जो कान्हानाथ, लटूरनाथ के खाते एवं कब्जे काश्त की थी, जिसमें दोनों का बराबर का हिस्सा था। कान्हा नाथ ने अपने हिस्से में से दि0 16.06.1979 को ख0नं0 491 में से 2.00 बीघा, ख0नं0 508 में से 4.00 बीघा कुल 6.00 बीघा वादी मोहनलाल नाथ को बैचान कर दी है। इस प्रकार वादी मोहनलाल नाथ के हिस्से में 29.03 बीघा हो जाती है। राजस्व कर्मचारियों ने मृतक कान्हानाथ के वारीसों में किशनचंद नाथ जो कान्हा का लड़का है का नाम नहीं जोड़ा गया। वहीं लटूरनाथ के वारिसों में मोहनलाल पुत्र, मोत्यांबाई बेवा 1/2 ही दर्ज किया गया है जबकि कान्हा नाथ से कय की गयी 6.00 बीघा जोड़कर 29.03 बीघा दर्ज होना चाहिये। मृतक कान्हानाथ के 3 पुत्र प्रति0 1 मांगीनाथ व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

हरदेवनाथ, किशचंद्रनाथ, शिवप्रसाद नाथ थे। इनमें से प्रति0 1 के अलावा अन्य की मृत्यु हो चुकी है, प्रति0 2 लगायत 16 इनके वारीसान हैं। मृतक लटूरनाथ के वारिसों में केवल वादी ही जीवित है। दि0 11.06.1982 को मृतक कान्हा नाथ के वारिसों प्रति0 1 व मृतक हरदेवनाथ, किशचंद्रनाथ व शिवप्रसाद नाथ ने आराजी ख0नं0 491 की 14.12 बीघा प्रति0नं 17 लक्ष्मीबाई को बैचान कर दी। यह बैचान कान्हानाथ के वारिसों द्वारा ही किया गया था किन्तु कान्हानाथ के वारिसों ने बैचान करने वालों में वादी का नाम भी दर्ज करवा दिया जो गलत था। जबकि वादी न तो उप पंजीयक खानपुर के समक्ष पेश हुआ, न बैचान का प्रतिफल प्राप्त किया, न बैचान पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये। ऐसे में यह बैचान वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है तथा शून्य प्रभावी है। इस बैचान के आधार पर प्रति0 17 लक्ष्मीबाई के पक्ष में इंतकाल नं0 112 भी अवैद्ध रूप से तस्दीक किया गया है। मृतक कान्हा के वारिसान द्वारा प्रति0 17 लक्ष्मीबाई को 14.12 बीघा बैचान करने के पश्चात मृतक कान्हा के वारिसों की केवल 2.11 बीघा जमीन बचती है। इसी प्रकार प्रति0 6 लगा0 9 के पिता किशनचंद नाथ ने संयुक्त खाते की आराजी में से उसका हिस्सा 1/10 बैचान किया है जो भी कानून के विरूद्ध है। यह 1/10 हिस्सा लगभग 3.00 बीघा होता है लेकिन कान्हनाथ के सभी वारीसान का संयुक्त खाते में केवल 2.11 बीघा आराजी ही बचती है। इस प्रकार इनको 1/10 हिस्सा बैचने का अधिकार ही नहीं था। यह बैचान दि0 6.11.2008 को प्रति0नं0 17 लक्ष्मीबाई को किया गया है। इसके आधार पर खोला गया इंतकाल नं0 112 भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, क्योंकि इसे तस्दीक करने से पूर्व वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। वादी के कब्जे काश्त में ख0नं0 496 की 21.17 बीघा, 508 की 7.12 बीघा कुल 2 किता की 29.03 बीघा जमीन चली आ रही है। हमने राजस्व रेकार्ड Exp1 लगा0 Exp16 पेश किये हैं व गवाह रामकरण, कजोड़ीलाल के बयान कराकर अपने वाद को साबित कराया है। वहीं प्रति0 1, 6 लगा0 11, 17 ने हमारे वाद को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया है। अतः हमारा दावा साबित होने से डिकी किया जाकर हमें 29.03 बीघा का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का भली भांति अध्ययन किया। प्रदर्श पी–1 जमाबंदी सं0 2036–39 ग्राम रामपुरा तहसील खानपुर के खाता सं0 नया 8 पुराना 9 के कुल किता 4 की रकबा 46.06 बीघा के अवलोकन से स्पष्ट हे कि प्रश्नगत आराजी कान्हानाथ पुत्र सुखानाथ एवं लटूरनाथ पुत्र माधोनाथ के संयुक्त खाते में दर्ज है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कुल 46.06 बीघा आराजी में लटूरनाथ जो कि वादी मोहनलाल का पिता है का 1/2 हिस्सा है जो कि 23.03 बीघा आराजी होती है।

प्रदर्श पी–2 पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.06.1979 के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम रामपुरा की उक्त प्रश्नगत आराजी 46.06 बीघा जो कि कान्हानाथ पुत्र सुखानाथ एवं लटूरनाथ पुत्र माधोनाथ निवासी रामपुरा के शामलाती खाते की है में से खातेदार कान्हानाथ वल्द सुखानाथ ने अपने हिस्से 1/2 भाग अर्थात 23.03 बीघा में से 6.00 बीघा आराजी जो कि खसरा नं0 491 रकबा 14.12 बीघा में से 2.00 बीघा, ख0नं0 508 रकबा 9.13 बीघा में से 4.00 बीघा है, का बैचान वादी मोहनलाल पुत्र लटूरनाथ को कर दिया जिसका प्रदर्श पी–3 नामांतरण पंजिका ग्राम रामपुरा तह0

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

खानपुर के नामांतरण संख्या 56 द्वारा केता मोहनलाल के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया। इस उक्त बैचान के पश्चात प्रश्नगत आराजी में खातेदार कान्हानाथ के हिस्से की आराजी 23.03 बीघा में से 6.00 बीघा कम होकर 17.03 बीघा आराजी शेष रही। लदूरनाथ की आराजी वदस्तूदर 23.03 बीघा रही और 6.00 बीघा आराजी के साथ केता एवं वादी मोहनलाल सहखातेदार दर्ज होना चाहिये।

प्रदर्श पी–4 नामान्तकरण पंजिका ग्राम रामपुरा तह0 खानपुर के नामा0सं0 55 दि0 12.08.19809 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी दोनों सह खातेदारान कान्हानाथ एवं लदूरनाथ के फौत हो जाने पर खातेदार कान्हानाथ के स्थान पर पुत्र मांगीनाथ जो कि प्रतिवादी सं0 1 है, हरदेव जो कि प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 के पिता एवं प्रति0सं0 5 के पति हैं, शिवप्रसाद जो कि प्रति0सं0 10 लगा0 15 के पिता एवं प्रति0सं0 16 के पति हैं के नाम तस्दीक किया गया, इसी प्रकार मृतक खातेदार लदूरनाथ के स्थान पर पुत्र एवं वादी मोहनलाल एवं विधवा मोत्यांबाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया। उक्त इंतकाल सं0 55 की प्रविष्टि जमाबंदी सं0 2036–39 ग्राम रामपुरा तह0 खानपुर जो कि प्रदर्श पी–6 में किया गया है। प्रदर्श पी–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार कान्हानाथ एवं लदूरनाथ के वारिसान का हिस्सा प्रश्नगत आराजी में वदस्तूर 1/2–1/2 ही अंकित किया गया, जबकि प्रश्नगत आराजी में से कान्हानाथ द्वारा अपने हिस्से की 23.03 बीघा आराजी में से 6.00 बीघा आराजी का बैचान वादी को कर चुका था। अतः कान्हानाथ के वारिसान के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी 23.03 बीघा में से विकय की गई 6.00 बीघा आराजी घटाने पर शेष आराजी 17.03 बीघा ही शेष रहती है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी में से कान्हानाथ के हिस्से की विकय की गई आराजी 6.00 बीघा जो कि नामा0सं0 56 से केता एवं वादी मोहनलाल के नाम दर्ज की गई थी, परंतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि उक्त इंतकाल का जमाबंदी में इंद्राज नहीं किया गया है, जिससे विकेता कान्हानाथ का हिस्सा कम नहीं हुआ।

प्रदर्श पी–7 बैनामा दिनांक 11.06.82 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार हरदेवनाथ, शिवप्रसाद, मांगीनाथ, किशनचंद्रनाथ पिसरान कान्हानाथ, श्रीमति केसरबाई बेवा कान्हानाथ, मोहनलाल वल्द लदूरनाथ मौजा रामपुरा ने अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 491 की 14.12 बीघा 14000/– रू0 में लक्ष्मीबाई पत्नि धन्नालाल जाति मीना निवासी रामपुरा को बैचान की है। इस लेखपत्र पर नोट अंकित है कि " यह लेख पत्र मिनटबुक 1981 नं0 2 दिनांक 28.05.81 को आब्जेक्शन होने से दर्ज थी। आज आब्जेक्शन की पालना होने पर तस्दीक की गयी" उक्त बैनामा के आधार पर प्रदर्श पी–8 नामा0सं0 112 ग्राम रामपुरा में लक्ष्मीबाई पत्नि धन्नालाल मीना के नाम तस्दीक हुआ है, जिसके आधार पर ग्राम रामपुरा की जमाबंदी सं0 2045–48 की खाता सं0 91 जो कि प्रदर्श पी–10 है, मैं कय शुदा आराजी 14.12 बीघा केता लक्ष्मीबाई के प्रथक खाते दर्ज हुई है तथा इस बैचान के बाद प्रतिवादीगण/विकेतागण का हिस्सा कम होना चाहिये था किन्तु प्रदर्श पी–5 जमाबंदी सं02045–48 में हरनाथ 1/10 शिवप्रसादनाथ 1/10 मांगीनाथ 1/10 मु0केसरबाई 1/10 बेवा कान्हानाथ, मोहनलाल पुत्र लदूरनाथ मोत्यांबाई बेवा लदूरनाथ हि0 1/2 हि0व0 कौम नाथ के खाते दर्ज रही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण/विकेता का हिस्सा कम नहीं हुआ है। इस बैचान के बाद कान्हानाथ के वारिसान प्रतिवादीगण की आराजी 17.03 बीघा में से 14.12 बीघा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

कम होने के वाद मात्र 2.11 वीघा ही शेष वचती है। प्रदर्श पी–15 नामा0सं0 322 दि0 6.11.2008 ग्राम रामपुरा के अनुसार कुल आराजी 31.14 वीघा में से किशनचंद्र पुत्र कान्हानाथ ने 1/10 हिस्से अर्थात 3.03 वीघा का वैचान लक्ष्मीवाई मीणा प्रति0नं0 17 को किया है, जवकि पूर्व वैचान के वाद मृतक कान्हा के वारीसान के हिस्से में कुल 2.11 वीघा आराजी अर्थात कुल आराजी में 51/634 हिस्सा ही शेष वचता है। खातेदार केशरवाई के फौत होने पर शेष वचे हिस्से 51/634 अर्थात 2.11 वीघा आराजी में प्रति0नं0 1 का 1/4 हिस्सा, प्रति0नं0 2 लगा0 5 का 1/4 हिस्सा, प्रति0 6 लगा0 9 के पिता किशनचंद्र का 1/4 हिस्सा एवं प्रति0नं0 10 लगा0 16 का 1/4 हिस्सा वनता है। इस प्रकार खातेदार किशनचंद्र का शेष वची 2.11 वीघा में 1/4 हिस्सा अर्थात कुल आराजी 31.14 वीघा में से 51/2536 हिस्सा के अनुसार केवल 0.12 वीघा आराजी ही वनती है और कानून इतनी ही आराजी का वैचान किशनचंद्रनाथ कर सकता था, किन्तु खातेदार किशनचंद्रनाथ ने अपने हिस्से से अधिक आराजी का वैचान प्रति0नं0 17 लक्ष्मीवाई को किया है। ऐसे में प्रति0नं0 17 केता लक्ष्मीवाई वादग्रस्त आराजी में से केवल 0.12 वीघा अर्थात कुल खाते में विकेता किशनचंद्र के हिस्से 51/2536 की सीमा तक ही आराजी उक्त वैचाननामा 9.07.2008 के अनुसार प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार नामा0सं0 322 दि0 6.11.2008 ग्राम रामपुरा खातेदार किशनचंद्र के हिस्से 51/2536 की सीमा के अलावा प्रभाव शून्य है।

वादी मोहनलाल ने ग्राम रामपुरा की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 496 की 21.17 वीघा, ख0नं0 372 की 0.04 वीघा, ख0नं0 508 की 9.13 वीघा कुल 4 किता की 31.14 वीघा में से 29.03 वीघा का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। प्रति0नं0 1, 6, 7, 8, 9, व 17 ने दिनांक 15.12.2014 को जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुये इकवालिया जवावदावा पेश किया है। इसी प्रकार प्रति0नं0 10 व 11 ने भी दिनांक 16.02.2015 को जरिये अधिवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुये इकवालिया जवावदावा पेश किया है। प्रति0 2 लगा0 5, 12 लगा0 15, 16, 18 वावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है, इससे प्रकट होता है कि इनको वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। वादी मोहनलाल Pw1, गवाहान Pw2 रामकरण मीना रामपुरा, Pw3 कजोड़ीलाल खाती रामपुरा ने अपने वयानों में वादी के वाद को स्वीकार करते हुये वाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के इकवालिया जवावदावा एवं गवाहान के वयानों के आधार पर वादी मोहनलाल वादग्रस्त आराजी 31.14 वीघा में से 29.03 वीघा अर्थात कुल खाते के 583/634 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। इसी प्रकार प्रति0नं0 1 मांगीनाथ हिस्सा 51/2536 का, मृतक खातेदार हरदेव के वारीसान प्रति0नं0 2 लगा0 5 हिस्सा 51/2536 का वांट वरावर से, मृतक खातेदार शिवप्रसादनाथ के वारीसान प्रति0नं0 10 लगा0 16 हिस्सा 51/2536 का वांट वरावर से एवं प्रतिवादी नं0 17 लक्ष्मीवाई हिस्सा 51/2536 का (प्रति. 6 लगा. 9 के पिता किशनचंद्र के हिस्से पर) खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं तथा मृतक खातेदार केसरवाई वेवा कान्हानाथ नाम खाते से

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

खारिज होने योग्य है। साथ ही ग्राम रामपुरा के नामा0सं0 112 एवं 322 वादी के अधिकारों की सीमा तक शून्य घोषित होने योग्य हैं।

अतः वाद, वादी सावित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम रामपुरा की जमावंदी सं0 2065–68 की खतौनी सं0 128 की ख0नं0 372 की 0.04 वीघा, ख0नं0 496 की 21.17 वीघा, ख0नं0 508 की 9.13 वीघा कुल 4 किता की 31.14 वीघा आराजी में वादी मोहनलाल को 583/634 हिस्से (29.03वीघा) का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रति0नं0 1 मांगीनाथ को 51/2536 हिस्से का, मृतक खातेदार हरदेव के वारीसान प्रति0नं0 2 लगा0 5 को 51/2536 हिस्से का बांट बराबर से, मृतक खातेदार शिवप्रसादनाथ के वारीसान प्रति0नं0 10 लगा0 16 को 51/2536 हिस्से का बांट बराबर से एवं प्रतिवादी नं0 17 लक्ष्मीवाई को 51/2536 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। मृतक खातेदार केसरवाई बेवा कान्हानाथ का नाम खाते से खारिज हो। साथ ही ग्राम रामपुरा के नामा0सं0 112 एवं 322 को वादी के अधिकारों की सीमा तक शून्य घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 24/01/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner